राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधी नियम, 2021

नियम 14(1) कोई भी अभिदाता वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ पर आने खाते में जमा राशि का निम्नानुसार आहरण करने का पात्र होगा:–

संकलकर्ता:– नरेन्द्र सिह सालासर स.प्र.अ. जिशिअ (मुख्यालय) मा. चूरू

(अ) बिना कारण बताये आहरण की स्थिति में:–

क्र.स.	आहरण प्रतिशत	सेवा अवधि
1	10 प्रतिशत	5 वर्ष से 15 वर्ष
2	30 प्रतिशत	15 वर्ष से अधिक किन्तु 25 वर्ष से कम
3	40 प्रतिशत	25 वर्ष से अधिक किन्तु 30 वर्ष से कम
4	50 प्रतिशत	30 वर्ष से अधिक
5	90 प्रतिशत	अभिदाता की अधिवार्षिकी सेवानिवृति से 60 माह अथवा उससे कम होने पर

(ब) कारण उल्लेखित करने की स्थिति मे आहरण:–

क्र.सं.	आहरण प्रतिशत	कारण
1	50 प्रतिशत	अभिदाता स्वयं या उसके संतान की उच्च शिक्षा हेतु
		वाहन क्रय हेतु
		स्थाई उपभोग की वस्तुओं का क्रय।
		अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर आश्रित माता–पिता की बीमारी पर व्यय।
		अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आदेशित किये जावे।
		नोट:–आहरण की सीमा हेतु वास्तविक व्यय अथवा जमा का 50 प्रतिशत जो भी कम हो तक की सीमा में ही अहारण किया जा सकेगा।
2	75 प्रतिशत	भवन निर्माण, भू–खण्ड क्रय, आवास क्रय,फ्लेट क्रय, निर्मित या अधिग्रहित भवन या आवास पुनर्निमार्ण, विस्तार, परिवर्धन, भू–खण्ड पर भवन निर्माण
		अभिदाता की स्वयं या उसके पुत्रों/पुत्रियों की सगाई/विवाह हेतु।
		अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आदेशित किये जावें।

Pm info
Admin पैनल

N.singh salasar